फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

हजारी लाल जैन बनाम सुशील कुमार जैन व अन्य

प्रकरण संख्या 08 /2021 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा विशेष विवरण या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	
30.09.2021	पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी उपस्थित है। अपीलार्थी को अपील के एडमीशन बहस पर गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । विवादित मकान नम्बर 10/207 की रजिस्ट्री अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के नाम निष्पादित करवा दी गई है, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अपील के पैरा नम्बर 7 में माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 17 में वाद लम्बित होना बताया एवं प्रत्यर्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द होना बताया है। चूंकि विवादित मकान की रजिस्ट्री अप्रार्थी के नाम होना स्वंय अपीलार्थी ने स्वीकार किया है। इसलिए अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2021 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में चारः जोई करे। पत्रावली नम्बर से कम हो। 30/9/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	